राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

विविध प्रार्थना पत्र संख्या 83/2016.....जिला.....भरतपुर.....

मैसर्स लाईटन इण्डिया कान्टेक्टर प्रा.लि., भरतपुर बनाम वा. कर अधि., प्रतिकरापवंचन द्वितीय, राज. जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/06/2016	**खण्डपीठ** **श्री सुनील शर्मा, सदस्य** **श्री मदन लाल, सदस्य** उक्त विविध प्रार्थना पत्र, व्यवहारी द्वारा कर बोर्ड की समन्वय (खण्डपीठ) द्वारा अपील संख्या 619/2016/भरतपुर में पारित निर्णय दिनांक 21.03.2016 के सम्बन्ध में प्रस्तुत कर, प्रकरण के निस्तारण की समयावधि, बढ़ाने हेतु निवेदन किया गया है। प्रकरण में रू0 10,91,24,188/– की राशि पर पूर्व में तीन माह के लिये स्थगन दिया गया था। व्यवहारी की ओर श्री एम.एल.पाटौदी, अभिभाषक व विभाग की ओर से श्री जमील जई, उप राजकीय अभिभाषक उपस्थित। उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में व्यवहारी की ओर से प्रकरण के निस्तारण की पुनः समयावधि बढ़ाने के संबंध में निवेदन किया गया, जिस पर विभागीय प्रतिनिधि की ओर से किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं प्रकट की गयी। वरन् व्यवहारी के अभिभाषक ने स्थगन आदेश की अवधि में वृद्धि किये जाने के लिये कथन किया कि उसको आदिनांक तक अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया है। उभयपक्षीय बहस व व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत विविध प्रार्थना पत्र पर विचार करने के पश्चात् न्यायहित में यह पीठ यह अनुभव करती है कि प्रकरण के निस्तारण हेतु कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा निर्णय दिनांक 21.03.2016 के उक्त आदेश की प्राप्ति दिनांक से तीन माह के भीतर अपील प्रकरण का निष्पादन नहीं किया गया था तथा प्रकरण का निस्तारण आदिनांक तक भी नहीं किया गया है। अतः उप राजकीय अभिभाषक श्री जमील जई को पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त प्रकरण को विभाग के सम्बंधित उच्चाधिकारी के ध्यान में लायें जिससे कि प्रकरण का शीघ्र निष्पादन अपीलीय स्तर पर सम्भव हो सके। प्रकरण में निस्तारण नहीं किये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा स्थगन की अवधि बढाने हेतु निवेदन किया गया है, जिसे स्वीकार करते हुए दिनांक 21.03.2016 को दिये गये स्थगन की अवधि को इस आदेश की प्राप्ति तिथि से पुनः अग्रिम तीन माह की अवधि के लिये बढाया जाना समीचीन होगा। इस प्रकरण में तीन माह के भीतर निस्तारण नहीं होने की स्थिति में आगामी अवधि नहीं बढायी जावेगी। निर्णय की प्रति आयुक्त, वाणिज्यिक कर, जयपुर को भी प्रेषित की जावे। अपील प्रकरण के निस्तारण की समय सीमा इस आदेश की प्राप्ति तिथि से अग्रिम तीन माह के लिए अन्तिम रूप से बढ़ायी जाती है । निर्णय सुनाया गया । (मदन लाल) सदस्य (सुनील शर्मा) सदस्य	